सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के अध्याय – 2 की

धारा–4 (1) ख (3)

मैनुअल संख्या – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो कृपया महाप्रबन्धक (एमडीओ), कार्यालय, यूजेवीएन लिमिटेड, उज्जवल, महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून पिन–248006 को डाक अथवा ई–मेल vivek.atreya@ujvnl.com पर सूचित करें।

मैनुअल–3

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं ।

निगम की निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तंत्र का इस्तेमाल होता है:–

निदेशक मण्डल

↓

अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक

↓

पूर्णकालिक निदेशक / अधिशासी निदेशक

↓

महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक

निगम का पूर्ण संचालन निदेशक मंडल के हाथ मे होता है जोकि कंपनी में उच्चतम निर्णायक होते हैं। निदेशक मंडल कंपनी के शेयर होल्डर जोकि कंपनी के असली मालिक हैं, के प्रति जवाब देह होते हैं। यूजेवीएन लि0 एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम होने के कारण व पूर्ण अंशपूंजी राज्य सरकार से प्राप्त करने के कारण निदेशक मंडल उत्तराखण्ड सरकार के प्रति भी जबाव देह होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अनुसार कतिपय मामलों में कंपनी के शेयर होल्डरों की आम सभा की सहमति की आवश्यकता भी होती है। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम होने के कारण कंपनी के Articles of Association के अन्तर्गत भी कुछ मामलों में उत्तराखण्ड शासन के दिये निर्देशों के अनुरूप एवं उनकी स्वीकृति के आधार पर कार्य करने होते हैं।

निदेशक मंडल का मुख्य कार्य एक न्यासी के रूप में शेयर होल्डरों के हितों का संरक्षण एवं ख्याल रखना होता है। निदेशक मंडल निगम के हितों की देख–रेख, कार्पोरेट क्रिया कलापों की समीक्षा, महत्व के निर्णयों की अधिकारिकता एवं अनुश्रवण तथा शेयर होल्डरों की व्यापक हितों की सुरक्षा करता है।

निगम के दैनिक कार्यों की देख–रेख का दायित्व प्रबन्ध निदेशक के ऊपर है जिनके सहयोग हेतु पूर्ण कालिक निदेशक मंडल एंव अन्य अधिकारी एंव कर्मचारी नियुक्त है।

अपने कार्यों को सुचारू संपादन हेतु निदेशक मंडल द्वारा अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को कुछ ठोस अधिकार प्रत्यायोजित किये गये है। जिनमें से कुछ अधिकार प्रबन्ध निदेशक द्वारा निदेशकों तथा अन्य अधिकारियों को अपने नियन्त्रणाधीन उप–प्रत्यायोजित कर दिये गये है।

प्रबन्ध निदेशक की जबाव देही निदेशक मंडल के प्रति होती है। पूर्ण कालिक निदेशक, निदेशक मंडल एंव प्रबन्ध निदेशक के प्रति जबाव देह होते हैं। अन्य अधिकारी सम्बन्धित निदेशक के प्रति जबाव देह होते हैं।